एम. एस. एग्रो फूड राइस मिल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

613

( सुवीर सहगल, जे.)

सुवीर सहगल से पहले, जे.

एम. एस. एग्रो फूड राइस मिल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता 2021 का ए. आर. बी. सं. 399

04 मार्च, 2024

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-एस. 11 (6) और 21-मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए धारा 21 की पूर्व शर्त के तहत नोटिस-विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिकाएं-उत्तरदाताओं का श्रेणीबद्ध रुख-नोटिस कभी पूरा नहीं हुआ-याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक मामले में लगाए गए आरोप-हरियाणा राज्य भंडारण निगम-वसूली के लिए मुकदमा भी दायर किया गया-उत्तरदाताओं के रुख का खंडन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता मध्यस्थता खंड को लागू करने में विफल रहा-धारा 21 के तहत नोटिस उत्तरदाताओं पर लागू नहीं किया गया-धारा 11 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बिना शर्त और पूर्व शर्त के नोटिस जारी करना-याचिकाएं खारिज-याचिकाकर्ता को धारा 21 के तहत नोटिस देने के बाद एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई, यदि कानून के अनुसार अनुमेय हो। अभिनिर्धारित किया कि निगम द्वारा लिए गए रुख से यह स्पष्ट है, जिसका खंडन नहीं किया गया है, कि याचिकाकर्ता मध्यस्थता खंड को लागू करने में विफल रहा है। अधिनियम की धारा 21 के तहत उत्तरदाताओं को नोटिस नहीं दिया गया है। मैसर्स वीर एग्रो फूड्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2018 का मध्यस्थता मामला संख्या 324, जो 12.01.2024 पर तय किया गया है) मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि मध्यस्थता खंड का आह्वान करने वाला नोटिस जारी करना अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अनिवार्य और प्रति शर्त है और इस तरह की सूचना के अभाव में, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। चूंकि याचिकाकर्ता मध्यस्थता खंड को लागू करने में विफल रहा है, इसलिए याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। (पैरा 6) मुदित जौहर, दोनों मामलों में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता, विरेंद्र राणा की ओर से अधिवक्ता।

शरद अग्रवाल, डीएजी, हरियाणा। बी. आर. महाजन, अमन बहरी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, दोनों मामलों में उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के लिए अधिवक्ता।

614

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्ष के लिए धान की कस्टम मिलिंग के लिए याचिकाकर्ता और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (संक्षेप में "निगम")-उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के बीच दिनांकित <ID1, अनुलग्नक P-1 पर एक समझौता किया गया था। वे प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए और याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के साथ-साथ धान के गबन के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। वह प्रस्तुत करता है कि मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए उत्तरदाताओं को 22.03.2021, अनुलग्नक पी-2 दिनांकित एक नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। (4) नोटिस पर, प्रत्यर्थियों ने एक जवाब दायर किया है जिसमें विवाद की मध्यस्थता को चुनौती देने के अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि नोटिस, अनुलग्नक पी-2 कभी भी जारी नहीं किया गया था। याचिका के पैरा 6.6 में किए गए कथन को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। विविध आवेदन के माध्यम से, उत्तरदाताओं द्वारा एक स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि नोटिस, अनुलग्नक पी-2, कभी भी जारी नहीं किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एफ. आई. आर. मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, जिसने निगम को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है और एक करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ 5.35 करोड़ रुपये का मामला भी दर्ज किया गया है।

(5) मैंने पक्षों के वकील को सुना है।

(6) निगम द्वारा लिए गए रुख से यह स्पष्ट है, जिसका खंडन नहीं किया गया है, कि याचिकाकर्ता मध्यस्थता खंड को लागू करने में विफल रहा है। अधिनियम की धारा 21 के तहत उत्तरदाताओं को नोटिस नहीं दिया गया है। मेसर्स वीर एग्रो फूड्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2018 का मध्यस्थता मामला संख्या 324, जो 12.01.2024 पर तय किया गया है) मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि मध्यस्थता खंड का आह्वान करने वाले नोटिस का जारी होना अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अनिवार्य और प्रति शर्त है और इस तरह की सूचना के अभाव में, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। चूंकि याचिकाकर्ता मध्यस्थता खंड को लागू करने में विफल रहा है, इसलिए याचिका में की गई प्रार्थना को एम. एस. एग्रो फूड राइस मिल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

615

( सुवीर सहगल, जे.)

को।

(7) याचिका खारिज की जाती है।

(8) याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार, यदि अनुमत हो, तो अधिनियम की धारा 21 के तहत नोटिस देने के बाद एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो प्रतिवादी कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध सभी याचिकाओं को लेने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। रिपोर्टर-सुब्रत कौर